उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0नं0-51/2007-08

बेटका हेम्ब्रम

बनाम्

राज्य एवं अन्य

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बेटका हेम्ब्रम, पे0–स्व0 पगान हेम्ब्रम वो अनंत हेम्ब्रम, पे0–स्व0 धोना हेम्ब्रम वो बिहारी हेम्ब्रम, पे0–स्व0 मंगल हेम्ब्रम वो रामेश्वर हेम्ब्रम, पे0–स्व0 जीगू हेम्ब्रम वो बुधराम मरण्डी, पे0–स्व0 बड़कू मरण्डी वो ताला हेम्ब्रम, पे0–स्व0 बचवा हेम्ब्रम वो लखीराम हेम्ब्रम बड़ा वो बड़ा मिस्त्री हेम्ब्रम, पे0–स्व0 मुसू हेम्ब्रम वो शिवलाल हेम्ब्रम, पे0–स्व0 भैया हेम्ब्रम सभी साकिनान कमलडीहा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–22/2004–05 आदेश दिनांक–20.09.2007 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–22/2004–05 आदेश दिनांक 20.09.2007 के द्वारा लखीराम हेम्ब्रम पे0–स्व0 ठाकुर हेम्ब्रम सा0–कमलडीहा को मौजा–कमलडीहा का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा कमलडीहा में कोई प्रधान नहीं थे। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 2(ix) के अनुसार मौजा–कमलडीहा खास मौजा है। खास मौजा होने के कारण मौजा के किसी रैयतों के द्वारा मौजा के किसी रैयतों के द्वारा मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन नहीं किया था। लेकिन हाल में लखीराम हेम्ब्रम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वह मौजा–कमलडीहा के नियुक्त प्रधान है। उत्तरवादी लखीराम हेम्ब्रम के दावा के सम्बंध में न्यायालय से पता किया गया तो पता चला कि उत्तरवादी लखीराम हेम्ब्रम संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा कमलडीहा का प्रधान नियुक्त है। उनका आगे कथन हैं कि लखीराम हेम्ब्रम के द्वारा तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को धोखा में रखकर गलत तरीके से मौजा कमलडीहा का प्रधान नियुक्त हुए हैं। क्योंकि उत्तरवादी लखीराम

हेम्ब्रम के पिता ठाकुर हेम्ब्रम कभी भी मौजा–कमलडीहा के प्रधान नहीं थे एवं उनके पिता के द्वारा कभी भी रैयतों से माल गुजारी का वसूली नहीं किया। ठाकुर हेम्ब्रम के पिता हरि हेम्ब्रम के द्वारा स्वच्छेद से प्रधान पद त्याग देने से ठाकुर हेम्ब्रम का दावा समाप्त हो गया था। माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा भी उत्तराधिकारी के आधार पर ठाकुर हेम्ब्रम के दावा को खारिज किया गया है। इसलिए ठाकुर हेम्ब्रम के उत्तराधिकारी के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत लखीराम हेम्ब्रम को मौजा कमलडीहा का प्रधाना नियुक्त किया जाना नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश खारिज करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में वार्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी लखीराम हेम्ब्रम को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी लखीराम हेम्ब्रम की मृत्यु होने के बैधनाम हेम्ब्रम को प्रति स्थानी पक्षकार बनाया गया।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष लखीराम हेम्ब्रम मौजा कमलडीहा के गत प्रधान के ज्येष्ट पुत्र थे। मौजा कमलडीहा के अंतिम प्रधान स्व0 ठाकुर हेम्ब्रम थे। ठाकुर हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद लखीराम हेम्ब्रम ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन दाखिल किया। अंतत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–22/2004–05 आदेश दिनांक–20.09.2007 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत गत प्रधान ठाकुर हेम्ब्रम के ज्येष्ठ के आधार पर उत्तरवादी लखीराम हेम्ब्रम को मौजा कमलडीहा का प्रधान नियुक्त किया गया है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के संबंध में अपीलकर्त्तागण को जानकारी था। क्योंकि अपीलकर्त्तागण के द्वारा निम्न न्यायालय में नियुक्ति के विरूद्ध आपत्ति आवेदन दाखिल किया था। फिर अपीलकर्त्तागण के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–20.09.2007 के विरूद्ध अपील आवेदन दिनांक–24.03.2008 को दायर किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन कालबाधित होने के

कारण खारिज होने योग्य है। उनका आगे कथन है कि मौजा कमलडीहा के अधिकांश रैयत गैर आदिवासी हैं। उनलोगों को मौजा के प्रधान नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ अपीलकर्त्तागण को है। अपीलकर्त्तागण उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के गोतिया है एवं प्रधानी जोत जमीन का बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में किये हुए हैं और उनलोगों का मकसद प्रधानी जोत जमीन को हड़पना है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष मौजा कमलडीहा के प्रधान के रूप में अपीलकर्त्तागण को छोड़कर सभी जमाबंदी रैयतों के वंशजों को स्वीकार्य है तथा वे गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संवंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–81/रा0 दिनांक–08.02.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा कमलडीहा प्रधानी मौजा है। लखीराम हेम्ब्रम को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रधान नियुक्त किया गया था। इसके वाद इनके वड़े पुत्र वैजनाथ हेम्ब्रम को पट्टा प्रधान के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। जिसका PA केश नं0–32/2015–16 है, जो जमावंदी नं0–1 गेंजर पर्चा के हरि हेम्ब्रम का परपोता है। जवकि आवेदक वेटका हेम्ब्रम जमाबन्दी नं0–31 जमाबंदी रैयत मानसिंह हेम्ब्रम का परपोता है जो जमावंदी नं0–1 के वंशज से कोई रिश्ता नहीं है एवं आवेदक वेटका हेम्ब्रम SPT Act 1949 के धारा 6 के तहत नहीं आते हैं। वर्तमान प्रधान वैजनाथ हेम्ब्रम का स्व0 ठाकुर हेम्ब्रम दादा है ठाकुर हेम्ब्रम की नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय PA केश नं0–20/1971–72 को की गई थी तथा भू–राजस्व लगान वसुल करते थे।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा कमलडीहा नं0–128 प्रधानी मौजा है। गत सर्वे सेटलमेंट के अनुसार मौजा कमलडीहा के प्रधान हरि हेम्ब्रम थे। अपीलकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्चत्तम न्यायालय नई दिल्ली के सिविल अपील नं0–1085/1980 (शिवपूजन भगत बनाम् ठाकुर हेम्ब्रम वगैरह) में दिये निर्णय का हवाला देते हुए यह कहा गया कि हरि हेम्ब्रम के द्वारा प्रधानी पद स्वेच्छा से त्याग देने के कारण उत्तराधिकारी के आधार पर ठाकुर हेम्ब्रम के दावा को माननीय उच्चत्तम न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हरि हेम्ब्रम के पुत्र ठाकुर हेम्ब्रम का ही दावा

उत्तराधिकारी के आधार पर समाप्त हो गया है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा ठाकुर हेम्ब्रम के ज्येष्ठ पुत्र के आधार पर उत्तरवादी द्वितीय लखीराम हेम्ब्रम एवं लखीराम हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद लखीराम हेम्ब्रम के उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी बैधनाथ हेम्ब्रम को मौजा कमलडीहा का प्रधान नियुक्त किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–22/2004–2005 आदेश दिनांक–20.09.2007 एवं पी0ए0 केश नं0–32/2015–16 में आदेश दिनांक–04.02.2017 को निरस्त किया जाता है एवं अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को रिमाण्ड किया जाता है एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा कमलडीहा के प्रधानी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया दो माह में पूर्ण कर अनुपालन से न्यायालय को अवगत करावें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/10/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

22/10/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:47:25 +05:30
Location: 192.168.29.8